SJIF 2014 = 3.189
ISSN: 2348-3083
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR
HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGE

भारत में संघवाद के प्रतिमानों का प्रकार्यात्मक अध्ययन

हरीश चंद, Ph.D.
अतिथि विद्वान, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय जबलपुर म.प्र.

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

भारत में संघवाद के प्रतिमानों का प्रकार्यात्मक अध्ययन विशयान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यात्मक पक्षों का व्यवहारिक वि लेशण किया गया है जो कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दृश्टिगोचर हो रहे है। भारतीय संविधान के भाग प्रथम अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा।[11] संघसूची में 97 विशय, राज्यसूची में 66 विशय व समवती सूची में 47 विशय भाामिल है।

सरकार की प्रणाली संघात्मक है। संघवाद **सीमित सरकार** का सिद्धांत है। संघीय सरकार में भाक्ति केन्द्र व राज्य सरकारों में बटी रहती है। भारत में संघात्मक तत्व संविधान की सर्वोच्चता संघ सूची राज्य सूची, समवर्ती सूची दोहरो भाासन प्रणाली, सदनीय विधायिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। जिसके **संगठनात्मक** अध्ययनों के उपरांत इन तत्वों के फैलाव से **प्रकार्यात्मक** पहल का अध्ययन भी अपेक्षित है। भारत को आजादी के उपरांत स ही संघवाद के विभिन्न प्रतिमानों भारत वि व राजनीति के सामने प्रादुर्भाव हुआ। आज भारत में संघवाद प्रमुख रूप से निम्न हैः **एकात्मक संघवादी प्रतिमान सादेबाजी की संघव्यवस्था प्रतिमान** सहयोगी संघव्यवस्था का प्रतिमान तथा आज भारत में **विकास संघवाद का प्रतिमान पर्यावरण संघवाद प्रतिमान** भी दिखलाई दे रहे है।

एकात्मक संघवाद का प्रतिमान

संघवाद का भारत में स्थापित प्रतिमान न तो पूरी तरह से संघात्मक कहा जा सकता है न ही एकात्मक अपितु भाक्तियों का बटवारा केन्द्र के पक्ष में है। एक ही संविधान

है जो कि संघ व राज्यों के लिए है। एक ही नागरिकता है। विधान मंडलों पर केन्द्र का नियंत्रण है। केन्द्र प्र ाासित क्षेत्र का होना। संसद द्वारा नए राज्यो की स्थापना का होना तथा राश्ट्रपति की संकटकालीन भाक्तियाँ भाामिल है।

केन्द्र एवं राज्य **दो स्तरीय सरकार** केन्द्र सरकार पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करती है बाद में पंचायतों नगरपालिकाओं के रूप में संघीय भाासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची द्वारा संवैधानिक रूप से विशयों को केन्द्र व राज्य के मध्य बांटा गया है। जिस पर दोनों कानून बना सकते है। टकराव होने पर केन्द्रीय कानून मान्य होगा। राज्य सरकारों को जो अधिकार दिए गए थे उसकी कीमत पर केन्द सरकार ने अधिक भाीघ्रता से अपनी भाक्त्यिों का विकास किया। जिससे क्षेत्रिय या स्थानीय सरकारो की तुलना में केन्द्रीय भाासन का महत्व अधिक बढ़ा है। नीति निर्माण, वैदे ाक संबंध सभी पर केन्द्र का ज्यादा नियंत्रण है। भारतीय संघ के सारे राज्यो को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को वि ोश अधिकार प्राप्त है जैसे जम्मू क मीर जिसका अपना संविधान हैं

भारत में केन्द्र व राज्यों की सरकार पर **एक ही दल** का लम्बे समय तक नियंत्रण था। सांझा सरकारों के युग में भी केन्द्रीय सरकार का संयुक्त प्रगति ाील गठबंधन का प्रतिनिधित्व **कांग्रेस** ने ही किया। सत्ता का केन्द्र कांग्रेस अध्यक्ष के पास ही रहा। अतः प्रमुखता से नियंत्रण कांग्रेस हाईकमान के पास था। भाजपा भी संगठनात्मक रूप स एकात्मक है आज केन्द्र व अनेक राज्यों की सरकार पर भाजपा अध्यक्ष का नियंत्रण विद्यमान है।

सहयोगी संघवाद

सहयोगी संघवाद का भारतीय प्रतिमान संघात्मक व्यवस्था में सहयोग का लक्षण निहित है जैसा कि **बैल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं भारत** की संघीय व्यवस्था में दृश्टिगोचर होता है। अमेरिका में राज्यों के गवनरों क सम्मेलन आस्ट्रलिया में प्रादे ाक सम्मेलन बैल्जियम में प्रान्तिय सरकारो को अधिकार तथा भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बटवारा संविधान द्वारा किया गया। संविधान परस्पर सहयोग पर बल देता है।

भारत में केन्द्र व राज्यों के मद भाक्ति संतुल्य व परस्पर निर्भरता वित्त आयोग, नीति आयोग, अन्तर्राज्यीय परिशदें के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 (ख)

कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित संबंधित विशयों के अन्वेशण और उन विचार विम र्ा करने, या[2] से संवैधानिक सहयोग दिखाइ देता है। राश्ट्रीय विकास परिशद विधानसभा अध्यक्षों के मुख्यमंत्रियों, सचिवों आदि के सम्मेलन **सहयोगी संघवाद** के उदाहरण है। भारतीय संविधान एवं उत्तरोत्तर किए गए प्रावधानों ने उचित सहयोगी राजनीतिक वातावरण की स्थापना की है। भारतीय संसद में लोक सभा जनता का तथा द्वितीय सदन राज्य सभा भारतीय संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान दे ा में संघात्मक भाासन प्रणाली की स्थापना करता है।[3] जिसका आधार सहयोगात्मक होना ही है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहां की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी प्रकार संघवाद की भावना विविधता का आदर और संग–संग रहने की इच्छा का हमारे दे ा के साझा आद र्ा के रूप में स्थापित होना सुनि चत हुआ।[4] यही तथ्य भारत में **सहयोगी संघवाद** का प्रतिमान स्थापित करते है।

सौदेबाजी वाली संघव्यवस्था

द्वितीय वि व युद्ध के उपरान्त साम्राज्वादी भाक्तियों को विव ा होकर एि ाया तथा अफ्रिका के अनेक राश्ट्रो को स्वतंत्र करना पड़ा। वि व में फैलाए बिटी ा साम्राज्यवाद का भी अन्त होने लगा। जिसमें भारत ने भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। दलीय व्यवस्था के नए प्रतिमान एि ाया, अफ्रिका के नवादित राश्ट्रों जिसमें भारत भी भाामिल है में विकसित हुए। यहां ऐसे दल विकसित हुए जिनकी प्रकृति द्वि–स्तरीय थी। राश्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर दल संगठित हुए।

भारत में 1952 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार रहा।[5] केन्द्र व राज्यो में कांग्रेस सरकारें थी। 1967 से राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनने लगी। हरियाणा, केरल, राजस्थान, उत्तरप्रदे ा, उड़ीसा पि चम बंगाल बिहार पंजाब, गुजरात राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। राजनीतिक अस्थायित्व बढ़ा। जिससे स्थानीय व प्रदे ा स्तर पर नेतृत्व स ाक्त होने लगा पर उसमें भ्रश्ट आचरण व स्वार्थ क्षेत्रीयता व प्रान्तीय लाभ हेतु भी बढ़ने लगा। नेहरू के समय से आज प्रधानमंत्री मोदी तक मुख्यमंत्री जब दिल्ली आते है तो वह अपना महत्व आंकते है। केन्द्र में 1977 में पहली बार मिली–जुली सरकार बनी।[5] आज तक 12 मिली जुली सरकार बन चुकी है। संघात्मक व्यवस्था में राज्य स्तर पर सत्ता प्राप्ति तथा केन्द्र में रहकर **राज्य के लाभ की सौदेबाजी** दिखाई देती है **ने□ानल**

प्रजातांत्रिक गठबंधन में चन्द्रबाबू नायडू व ममता बैनर्जी द्वारा ज्यादा पैकेज की मांग करना नीति ा कुमार व रामविलास पा वान का मंत्रिमंडल में स्थान प्रादे ाक्ता के कारण रहना। तथा ि ावसेना दल की मांग भी प्रादे ाक व केन्द्र सत्ता में सौदेबाजी की रही है। संघीय सरकार पर जिस दल का नियंत्रण होता है उससे जुड़े हुए दल सौदेबाजी करते है ऐसा ही प्रान्त स्तर पर भी राश्ट्रीय राज्य स्तरीय दल सौदेबाजी भार्ते, प्रस्ताव रखना व मनवाने का प्रयास करते है।

भारत में विकास का संघवाद प्रतिमान

विकसित दे ाों को विकास का प्रतिमान मानकर अन्य दे ाों की स्थिति की तुलना की जाती है कि वह विकास के लिए नि चत किए गए प्रतिमान में कहां है और किस और किस गति से आगे बढ़ रहा है? भारत में आर्थिक नियोजना से केन्द्र व राज्य सरकारों को पंचवर्शीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक नियोजन द्वारा विकास स्थापित करने का प्रयास पहले योजना आयोग से नया नाम अब नीतो आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। **मेक इन इंडिया** द्वारा केन्द्रीय सरकार विकास के नए आयाम गढ़ने का प्रयास कर रही है।

गांधीवादी प्रतिमान

सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आद ावादी भारतीय राजनीतिक विचारक महात्मा गांधी ने भी विकास का प्रतिमान प्रस्तुत किया।[6] सत्य, अहिंसा, नैतिकता, मानवीयता परोपकार भाईचारा जैसे मानवीय मूल्यों को लागू करके विकास करने की बात कही।[7] गांधी राजनीति में व्याप्त भाई–भतीजावाद, जातिवाद जैसे भश्टाचार को समाप्त करना चाहते थे तथा राजनीति को पवित्र बनाना चाहते थे।[8] आज भारतीय संघ में केन्द्र व राज्यों की सरकार द्वारा अंतर्राश्टीय एवं राश्टोय मंचों पर इस प्रतिमान पर सहमति दिखाई देती है।

भारत में **2014 के लोकसभा चुनावों में गुजरात का विकासवादी मॉडल श्री नरेन्द्र मोदी** द्वारा रखा गया। जिसे दे ा की अधिकतम राज्यों की जनता ने स्वीकार कर केन्द्र में भाजपा प्रतिनिधित्व वाली एन.डी.ए सरकार की स्थापना विकास के आधार पर श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आज भारत में सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक विकास का प्रतिमान आधारित राश्ट्रीय व राजयोय राजनीतिक वातावरण दृश्टिगोचर है।

पर्यावरण प्रतिमान

वि व के सम्पन्न विकास ील, अविकसित दे ों ने बढ़ते पर्यावरण प्रदूशण पर अपनी चिंता प्रकट की है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। वि व मंचो पृथ्वी सम्मेलन आदि में भारत न पर्यावरण पर मानवीय हितों की बात रखी है। भारत में केन्द्र व राज्य सरकार इसके लिए प्रयत्न ील है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का **ऑड इन वन** अर्थात एक दिन सम संख्या व दूसरे दिन विशम संख्या की गाड़ी चलाने का फार्मूल को दे ा में पर्यावरण प्रदूशण नियंत्रण में एक ठोस आधार माना गया ह।

लोक कल्याणकारी राज्य प्रतिमान व भारतीय संघवाद

भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।[9] जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, संरक्षण भाामिल है। राज्य को व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक हस्तक्षेप करना चाहिए। जिससे नागरिकों को समानता तथा सम्मानूर्वक जीवन यापन का अवसर उपलब्ध हो। जिसे भारत के केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा अपने विकासात्मक कल्याणकारी कार्यो में कार्यरूप में भाामिल किया गया है। किसान विकास, लाड़ली लक्ष्मी योजना, विकलांग विवाह योजना दीनदयाल अन्त्योदय योजना, जन धन योजना, बीमा योजना, मकान योजना, ऋण योजना छात्रवृत्ति भाोध सहायता, ग्रामीण व भाहरी विकास योजना, युवा उद्यमी योजनाएं स्वच्छ भारत योजना आदि। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां केन्द्र व राज्य सरकारें कल्याणकारी कार्य न कर रही हो।

निश्कर्श

यह तथ्य सामने आते है कि भारत में सघीय भाासन कारगर है तो मुख्यतः यहां का **लोकतांत्रिक चरित्र संघवाद की भावना, मिलजुलकर रहना,** गांधीवाद राश्ट्रीय विकास की भावना, संविधान के प्रति सम्मान, संसद विधान सभाओ, केन्द्र व राज्य सरकारों का समन्वयकारी कार्यात्मक लोक कल्याणकारी कार्य से संघवाद को बल मिला। कुछ जगहों पर यह संघवाद अपने बुरे पक्ष जिसमें सौदेबाजी भ्रश्टाचार को बढ़ावा नेतृत्व में नैतिकता का पतन आदि रूपो में दिखाई देता है। संघवाद विभिन्न प्रतिमानों के साथ आज भारत का वि ाल लोकतंत्र गतिमान है। यही इसकी सुन्दरता व भाक्ति है।

संदर्भ

भारत का संविधान भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली पृश्ठ 2

वही, पृश्ठ 111

प्रतियोगिता दर्पण, राजनीति विज्ञान, प्रतियोगी परीक्षा पत्रिका, उपकार प्रका ान, आगरा सीरीज–2 अतिरिक्तांक, पृश्ठ 119

लोकतांत्रिक राजनीति–2 राश्टीय भौक्षिक अनुसंधान और प ाक्षण परिशद नई दिल्ली 2007 पृश्ठ 16 परीक्षा

डॉ. एस.सी.सिहल, भारतीय भाासन एवं राजीनति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 2007, पृश्ठ 314

वही, पृश्ठ 319

प्रतियोगिता दर्पण, राजनीति विज्ञान, प्रतियोगी परीक्षा पत्रिका, उपकार प्रका ान, आगरा सीरीज–2 अतिरिक्तांक, पृश्ठ 75

वही 75

भारत का संविधान भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली पृश्ठ 17.